विवाह/धार्मिक/सामाजिक समारोह हेतु भूमि के अस्थायी आबंटन के लिए निबंधन एवं शर्तें

1. दि.वि.प्रा. किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु, स्थल को आवेदक के नाम में बुक करता है और टैंट वाले से इसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है । स्थल का खाली कब्ज़ा दि.वि.प्रा. को सौंपने की जिम्मेदारी आवेदक की होती है। उल्लंघन करने की स्थिति में, आवेदक को उपयुक्त कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि खाली न करने के मामले में अगले आवेदक को असुविधा हो सकती है ।

2. जनता से अनुरोध है कि वे बुकिंग स्थल पर किसी भी प्रकार का ढाँचा या निर्माण खड़ा न करें क्योंकि उसे बुकिंग की अवधि के अंदर गिराया जाना संभव नहीं हो सकेगा । ऐसा करने पर उन्हें ढाँचे को हटाने की लागत सहित दंडित किया जा सकता है ।

3. बुकिंग की पुष्टि के मामले में, बुकिंग के शुरू होने की तिथि से **चैक–इन** समय **दोपहर 12.00 बजे** होगा और **चैक–आउट** समय बुकिंग के अंतिम दिन से अगले दिन **दोपहर 12.00 बजे** होगा ।

4. आम जनता से अनुरोध है कि अस्थायी उपयोग हेतु अनुमत उक्त बुकिंग का उपयोग किसी अन्य उपयोग के लिए करके दुरूपयोग न करें । यदि स्थल पर किसी प्रकार का दुरूपयोग पाया जाता है, तो बिना कोई सूचना दिए भूमि को बल प्रयोग करके खाली करा लिया जाएगा । इस कारण हुए किसी भी प्रकार के नुकसान अथवा हानि के लिए दि.वि.प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा । ऐसी स्थिति में, आपकी प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

5. यदि उक्त अनुमत से अधिक भूमि का अतिक्रमण किया गया अथवा उक्त के अनुसार अनुमत दिनों से अधिक दिन उपयोग किया गया तो कथित भूमि को भी आपके जोखिम और लागत से खाली कराया जाएगा । ऐसी परिस्थिति में दि.वि.प्रा. आपकी चल सम्पत्ति के किसी प्रकार के नुकसान अथवा हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । ऐसी परिस्थिति में आपकी प्रतिभूति जमा राशि भी जब्त कर ली जाएगी ।

6. प्रॉक्सी बुकिंग की अनुमति नहीं है । यदि दि.वि.प्रा. के फील्ड स्टाफ को यह पता लगता है कि आपके द्वारा तथ्यों की गलत बयानी और/अथवा कोई धोखा दे कर और/अथवा धोखा देकर अस्थायी बुकिंग हासिल की है, तो प्रदान की गई अनुमति अपने आप रद्द मानी जाएगी तथा आपके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई और आपकी प्रतिभूति जमा राशि जब्त करने के अतिरिक्त, आपसे स्थान बल पूर्वक खाली कराया जाएगा । आपसे बल पूर्वक स्थान खाली कराने के दौरान आपको हुए किसी नुकसान और/अथवा हानियों के लिए दि.वि.प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा ।

7. यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि चारदीवारी, ग्रिल, फेन्सिंग, गेटों, सड़कों और वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए । किसी प्रकार की क्षति के मामले में आपसे क्षति का मूल्य वसूलने के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि ज़ब्त कर ली जाएगी ।

8. आपको मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने होंगे । दि.वि.प्रा. अग्नि से होने वाली किसी दुर्घटना अथवा आपकी असावधानी, लापरवाही अथवा गैर जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (प्रति संलग्न) ।

9. दि.वि.प्रा. की खाली भूमि पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है ।

10. पानी, बिजली आदि का प्रबंध आपको स्वयं करना होगा ।

11. लाउड स्पीकरों, डी.जे. संगीत–वाद्य यंत्रों और बैण्ड आदि का उपयोग लागू विभिन्न अधिनियमों/कानूनों की शर्त पर किया जाएगा और आपको, जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ संबंधित प्राधिकारी से इसके लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

12. आपके द्वारा यदि बुकिंग किसी कारण से रद्द की जाती है और सूचना अथवा यह रद्द करना समारोह की तिथि से एक महीना पहले की जाने की स्थिति में आप 90 प्रतिशत वापसी और सूचना समारोह की तिथि से 15 दिन पहले दी जाती है तो 50 प्रतिशत वापसी के हकदार होंगे । यदि सूचना समारोह की तिथि के 15 दिनों के अंदर दी जाती है तो किसी भी प्रकार की वापसी की अनुमति नहीं होगी । ऐसी वापसी की अनुमति केवल उचित तरीके से की गई डायरी अनुरोध पर ही होगी और ये आदेश उत्तरव्यापी प्रभाव (प्रोस्पेक्टिव इफैक्ट) से लागू होंगे ।

13. **उपर्युक्त के अनुसार बुकिंग अहस्तांतरणीय है।** यदि दि.वि.प्रा. के फील्ड स्टाफ को यह पता चलता है कि बुकिंग का अनधिकृत हस्तांतरण हुआ है तो दोनों पक्ष अर्थात् अनधिकृत अंतरक/अंतरिती से खाली कराने और प्रतिभूति जमा राशि को ज़ब्त करने के अतिरिक्त उन पर दंडिक कार्रवाई भी की जाएगी ।

14. उक्त निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में दि.वि.प्रा. के पास अधिकार है कि वह बिना कोई नोटिस जारी किए कथित अनुमति को रद्द कर सकता है ।

15. दि.वि.प्रा. अनिवार्य परिस्थितियों में आपकी तरफ से क्षतिपूर्ति और हानि के दावों अथवा बिना किसी देयता के अनुमति को वापिस ले सकता है ।

मैं उपर्युक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूं ।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....
दूरभाष सं. ....

अस्थायी ढांचों एवं पंडालों/शामियानों के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंड

1. पंडाल का कोई भी भाग ऐसी सड़क जिस पर से मोटर द्वारा पहुंचा जा सकता है, सड़क से 45 मीटर से अधिक दूर नहीं होगा ।

2. कोई भी पंडाल/अस्थायी ढांचा किसी भी विद्युत प्रवाहित लाइन के नीचे नहीं बनाया जाएगा । किसी भी स्थिति में विद्युत प्रवाहित तार एवं शमियाने के बीच की दूरी 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए ।

3. कोई भी अस्थायी ढांचा/शामियाना किसी भी भट्टी, रेलवे लाइन, विद्युत सब स्टेशन, चिमनी अथवा ऐसी ही खतरनाक स्थानों के नज़दीक नहीं बनाए जाएंगे जब तक कि ऐसे अस्थायी ढांचों/शामियाना के बीच की दूरी 16 मीटर न हो ।

4. ऐसे अस्थायी ढांचे/शामियाने के सामने 5 मीटर से कम खुला स्थान नहीं होना चाहिए एवं आर्क वे (यदि कोई हो) की ऊँचाई 5 मीटर से कम और 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5. मुख्य ढांचा कम से कम 4 इंच व्यास की लकड़ी के खंभों (मुख्यतः साल, कैजुरिना की ठोस लकड़ी अथवा बाँस अथवा धातु के पाइप) से बना हो एवं शेष ढांचे हल्के खंभों एवं ट्रस के बने तथा अच्छी तरह से बंधे हों ।

6. पंडाल में कहीं भी नायलॉन की रस्सी का उपयोग नहीं होना चाहिए । शामियाने बनाने में केवल नारियल के रेशों की रस्सी एवं मनीला रस्सी का ही उपयोग किया जाना चाहिए ।

7. किसी भी स्थिति में, पंडाल के ढांचे की छत की ऊँचाई भूमि से 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए ।

8. पंडाल का प्रत्येक खंभा रस्सी से बंधा होना चाहिए एवं जमीन या किसी मजबूत वस्तु से कसा होना चाहिए ताकि तेज हवा के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके ।

9. पंड़ाल के अस्थायी ढांचे का स्थान चारों तरफ से खुला होना चाहिए । यदि किन्हीं कारणों से ऐसा संभव न हो तो चारदीवारी की ऊँचाई अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में उससे बाहर निकला जा सके ।

10. विवाह पंड़ालों के मामलों में, गर्मी में पंड़ाल का 60 प्रतिशत भाग बिना छत के होना चाहिए एवं 40 प्रतिशत भाग छत से ढका हो । सर्दी में 50 प्रतिशत भाग खुला एवं 50 प्रतिशत भाग ढका होना चाहिए ।

11. पंड़ाल में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के सजावटी कागज़ों, कृत्रिम सामग्रियों/प्लाइवुड इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

12. पंड़ाल के ढ़ाचे एवं आस–पास के भवनों अथवा अन्य ढ़ांचों के बीच चारों ओर 4.5 मीटर का खुला स्थान होना चाहिए । जिन मामलों में ये पंड़ाल छोटे लॉन, जो आवासीय परिसर के भाग हो, में बनाए जाते हैं तो उन पंड़ालों के सामने का भाग खुला होना चाहिए। यदि पंडाल की गहराई 10 मीटर से अधिक न हो तो यह सामने की ओर होना चाहिए ।

13. बैठक स्थल पर किसी भी सीट की पंक्ति से निकास 15 मीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए ।

14. किसी भी प्रकार के अस्थायी ढ़ांचे में कम से कम दो अलग–अलग निकास द्वार होने चाहिए एवं दोनों एक दूसरे से दूर होने चाहिए । प्रत्येक निकास द्वार की चौड़ाई कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए ।

15. यदि पंडालों का उपयोग राजनीतिक सभाओं, धार्मिक उत्सवों, विद्यालय के वार्षिक उत्सवों इत्यादि के लिए किया जाता है तथा इन पंडालों में बैरीकेड लगाए जाते हैं तो आपातकालीन स्थिति में ये बैरीकेड जनता के सुगम एवं व्यवस्थित निकास में बाधा उत्पन्न नहीं करने चाहिए ।

16. सभी निकास द्वारों पर स्पष्ट रूप से ''निकास'' (EXIT) चिह्न लिखा होना चाहिए एवं उस पर उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए अथवा निकास बोर्ड पर फ्लूरोसेंट पेंट रंगा होना चाहिए ।

17. शामियाने में विद्युतीकरण के लिए प्रयुक्त तार अच्छी अवस्था में होने चाहिए और किसी भी स्थिति में विद्युतीकरण के लिए कोई खुला या नंगा तार प्रयोग नहीं किया जाए ।

18. पंडाल के ढ़ांचे में विद्युत परिपथ (सर्किट) का कोई भाग छत से किसी भी सजावटी सामान के 15 सें.मी. के भीतर नहीं होगा ।

19. उस मामले में जहाँ पंडाल ढ़ाँचे में विद्युत के स्थान पर गैस/पोर्टेबल लाइट प्रयोग की जाती हो, वहाँ मुख्य ढाँचे अथवा पंडाल की छत से इस प्रकार की लाइटें नहीं लटकायी जाएंगी । ऐसी सभी लाइटों को अलग स्थान पर अथवा स्टैंड पर सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा ।

20. जहाँ भी शामियाना लगाने के लिए मेटल फ्रेम ढ़ांचा प्रयोग किया जाता है वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण करंट से बचने (इलेक्ट्रोक्यूशन) के लिए फ्रेम वर्क अच्छी तरह भूयोजित (अर्थड्) किया जाएगा ।

21. पंड़ाल के ढ़ाँचे में सभी इलेक्ट्रिकल वाइरिंग (बिजली के तार) पी वी सी चढ़े हुए चालक (कंडक्टर) और मज़बूत रबड़ के वल्केनाइज्ड रबड केबलों में होंगी एवं सभी जोड़ पोर्सलेन इंसुलेटिड कनेक्टर के होंगे। मुड़े हुए और टेप लगे हुए जोड़ों की अनुमति नहीं होगी । आंतरिक तारों (इंटरनल वाइरिंग) के लिए ही केवल उच्च श्रेणी की ताँबे की तार प्रयोग की जाएगी ।

जहाँ तक संभव हो विभिन्न पदार्थों जैसे : ताँबा और एल्युमिनियम की विद्युत तारों का प्रयोग जोड़ों (जॉइंट्स) के लिए न करें, क्योंकि कुछ समय बाद जोड़ ढीले हो जाते हैं और चिंगारी का कारण बनते हैं ।

22. विद्युत परिपथ (इलेक्ट्रिकल सर्किट) में एम सी आर और ई एल सी आर प्रयोग किए जाएंगे ।

23. पंडाल के अंदर कहीं भी हेलोजन लैम्प प्रयोग नहीं करने होंगे ।

24. इलेक्ट्रिक मेन स्विच बोर्ड के पास सूखी रेत की एक खुली बोरी रखनी होगी ।

25. कालीन के नीचे बिजली के तार नहीं बिछाए जाएंगे। इस उद्‌देश्य के लिए उचित धातु पाइपों (कनडयूट्स)/चैनल्स का प्रयोग किया जाए ।

26. निकास (इस्केप) मार्ग पर पर्याप्त संख्या में बैटरी चलित आपात लाइटों की व्यवस्था की जाएगी ।

27. अस्थायी ढ़ाँचे अथवा इनके बिल्कुल नज़दीक पटाखों अथवा किसी भी प्रकार की आग की अनुमति नहीं होगी ।

28. रसोइघर का स्थान मुख्य पंडाल से कम से कम 10 मीटर दूर होना चाहिए ।

29. पंडाल में ढके हुए क्षेत्र में जलापूर्ति 0.75 प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जल के कम से कम 200 लीटर के दो ड्रम होने चाहिए, जो समान दूरी पर हों और प्रत्येक ड्रम के साथ 2 बाल्टियाँ हों ।

30. यह अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह 4.5 कि.ग्रा. की क्षमता के CO_2 (कॉर्बन डाइऑक्साइड) के दो अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था करें (एक विद्युत वितरण बोर्ड के समीप और दूसरा रसोई घर में)

31. पंडाल के अंदर किसी भी प्रकार के ईंधन का संग्रहण निषेध है और अस्थायी ढ़ांचे में किसी भी प्रकार की सुगम ज्वलनशील सामग्री जैसे–लकड़ी, घास–फूस एवं ज्वलनशील विस्फोटक रसायन आदि का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए ।

मैं उपर्युक्त अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....
फोन नं0 ....